

को पेश हो। ✓

8-3-22

आज पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलावाची गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम पैरवी एवं अदम पैरवी वस्तुओं का बिक्री होती है। अतः याद/प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की आकर जिला लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

35.5-22

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

